न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 10/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/34

अनवान्

1. श्री उदयसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी कुंरडी जावड तहसील घासा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता शेरसिंह राजपूत निवासी कुंरडी जावड तहसील घासा।
2. श्री भंवरसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी कुंरडी जावड तहसील घासा।
3. श्री भीमसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी कुंरडी जावड तहसील घासा।
4. श्रीमती सुरजकुंवर पत्नी मानसिंह राजपूत निवासी कुंरडी जावड तहसील घासा।
5. नन्दाकुंवर पुत्री मानसिंह राजपूत निवासी कुंरडी जावड तहसील घासा।
6. श्री सज्जनसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी जावड तहसील घासा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।
8. पटवारी, पटवार हल्का जावड तहसील घासा।
9. उप पंजीयन अधिकारी घासा तहसील घासा।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 12.08.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा की आराजी नम्बर 3970, 3979, 4105, 4135 किता 4 कुल रकबा 2.7436 हेक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्से से, विपक्षी संख्या 2 से 5 तक प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्से से खातेदारी में दर्ज हैं।
2. यह कि हम प्रार्थी एवं विपक्षीगण का सजरा निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

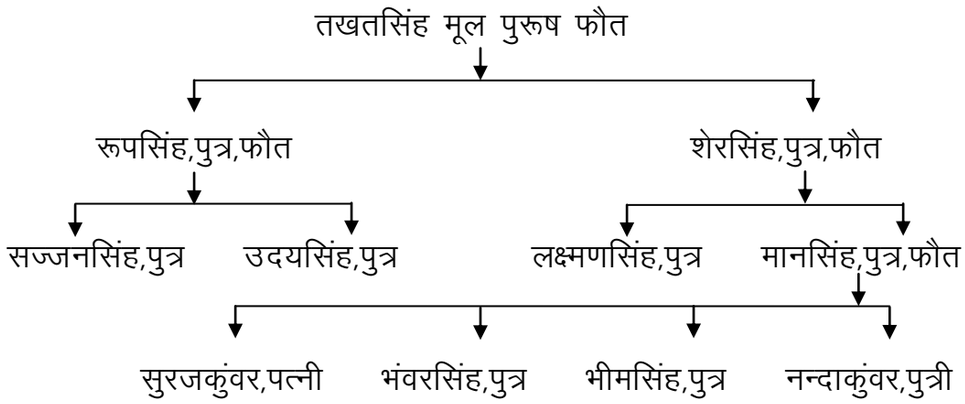

उक्त सजरे में वर्णित अनुसार मूल पुरूष तखतसिंह जिनके दो जायन्दा पुत्र रूपसिंह एवं शेरसिंह हुए, दोनो का देहावसान हो चुका है, रूपसिंह के विधिक वारिसान में मैं प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 जायन्दा पुत्र होकर विधिक वारिस उत्तराधिकारीगण है, इसी तरह शेरसिंह के विधिक वारिसान में लक्ष्मणसिंह व मानसिंह जायन्दा पुत्रान जिनमें लक्ष्मणसिंह विपक्षी संख्या 1 एवं मानसिंह जिसका देहावसान हो चुका है, मानसिंह के विधिक वारिसान में पुत्र–पुत्री एवं पत्नी विपक्षी संख्या 2 से 5 हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि (सम्पति) है, उक्त कृषि भूमि मौरूसी पैतृक कृषि भूमि मूल पुरूष तखतसिंह राजपूत के जायन्दा पुत्रान् अर्थात विधिक वारिसान रूपसिंह, शेरसिंह के समान हक हिस्से अनुसार तत्कालीन समय से संयुक्त स्वामित्व एवं हक हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में हो उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के पूर्वजो की मृत्यु उपरान्त प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व व कब्जे उपभोग में तत्कालीन समय से वर्तमान समय तक चली आ रही हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 का अपने मूल पुरूष स्वर्गीय दादा रूपसिंह पिता तखतसिंह के 1/2 हक हिस्से की भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 के निहित हक हिस्से अनुसार स्वामित्व व कब्जे उपभोग में एवं स्वर्गीय श्री शेरसिंह पिता तखतसिंह के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 तक के निहित हक हिस्से अनुसार स्वामित्व व कब्जे उपभोग में हैं। उक्त कृषि भूमि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि होकर उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 6 का 1/4 हक हिस्सा हो मै प्रार्थी उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि का हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हूं तथा मुझ प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि पर निरन्तर निर्विवाद स्वामित्व अधिकार आधिपत्य चला आ रहा हैं।

4. यह कि उक्त कृषि भूमि मुझ प्रार्थी की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि है, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 के मूल पुरूष स्वर्गीय श्री रूपसिंह पिता तखतसिंह, 1/2 हिस्से व कब्जे अनुसार एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 के मूल पुरूष स्वर्गीय श्री शेरसिंह पिता तखतसिंह, 1/2 हिस्से व कब्जे अनुसार उपभोग, उपभोग में चली आ रही थी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 के मूल पुरूष स्वर्गीय श्री रूपसिंह पिपता तखतसिंह का 1/2 हिस्सा उनकी मृत्यु उपरान्त जो मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 के संयुक्त स्वामित्व व हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में है। तत्कालीन समय के राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 के पिता स्वर्गीय रूपसिंह पिता तखतसिंह के नाम 1/2 हिस्से से एवं शेरसिंह पिता तखतसिंह के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु तत्कालीन समय में उक्त सम्पूर्ण भूमि मुझ वादी के मूल पुरूष के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज नहीं कर एवं रेकार्ड में गलत इन्द्राज व कांट–फांस कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधिक भूल कर उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि विपक्षीगणों के मूल पुरूष स्वर्गीय श्री शेरसिंह पिता तखतसिंह के नाम दर्ज कर दी जो गलत दर्ज कर दी जिससे मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 को स्वर्गीय श्री रूपसिंह के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से रूपसिंह के हक हिस्से की कृषि भूमि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 को प्राप्त नहीं हुई एवं उक्त कृषि भूमि तत्कालीन में ही मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 के मूल पुरूष स्वर्गीय श्री रूपसिंह पिता तखतसिंह के नाम 1/2 हक हिस्से से दर्ज होने से रह गई और उक्त कृषि भूमि तत्कालीन समय से वर्तमान तक प्रतिवादीगण के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जबकि उक्त कृषि भूमि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि होकर उक्त कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 का हित निहित हो हिस्सा है, उक्त कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी के हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि में विपक्षीगण का कभी कोई हक स्वत्व अधिकार आधिपत्य नहीं रहा है, केवलमात्र उक्त कृषि भूमि नुमाईशी तौर पर विपक्षीगणों के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी में दर्ज हो गई हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी का मजबूत प्राइमाफैसी केस है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि तत्कालीन समय से स्वर्गीय रूपसिंह पिता तखतसिंह 1/2 हक हिस्से अनुसार स्वामित्व व कब्जे उपभोग में हो उक्त स्वर्गीय श्री रूपसिंह पिता तखतसिंह के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि जिसमें मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 का स्वर्गीय रूपसिंह पिता तखतसिंह के विधिक वारिसान होने से हक हिस्सा बनता है, उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मुझ प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि हो तत्कालीन समय से अर्थात पिछले कई वर्षों से वर्तमान समय तक मुझ प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व एवं हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में है तथा मुझ प्रार्थी का अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर निरन्तर निर्विवाद स्वामित्व अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है, मुझ प्रार्थी के हक व कब्जे उपभोग की भूमि में विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

का कोई हक स्वत्व अधिकार आधिपत्य नहीं रहा है। तत्कालीन समय के राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 के मूल पुरूष के नाम 1/2 हक हिस्से का इन्द्राज नहीं कर उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि गलत इन्द्राज से केवलमात्र विपक्षी संख्या 1 से 5 के मूल पुरूष शेरसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज होने से विपक्षीगण के मन में लोभ व लालच उत्पन्न हो गया है, जिससे विपक्षीगण मुझ प्रार्थी को अपनी उक्त हिस्सा कृषि भूमि से ताकत के बल पर बेदखल करने की कुचेष्ठा रखने लगे है एवं आए दिन मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप एवं बाधा उत्पन्न करने लगे है और मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर मुझ प्रार्थी के हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि से ताकत के बल पर मुझ प्रार्थी को बेदखल कर मुझ प्रार्थी को मौरूसी पैतृक कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से हमेशा के लिए वंचित कर देने एवं रेकार्ड एवं मौके की स्थिति को परिवर्तित करने की एलानिया धमकी दे रहे है और मुझ वादी के हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि से ताकत के बल पर बेदखल करने व मौके पर विवाद करने पर उतारू है, जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। मुझ प्रार्थी के हितों की रक्षार्थ मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुकदमेबाजी बढेगी व मौके पर विवाद होगा और मुझ प्रार्थी को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा।

6. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 28.12.2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण द्वारा मौके पर अन्य अजनबी व्यक्तियों को लाकर मुझ प्रार्थी को अपने हक हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी एवं लगातार ऐलानिया धमकीयां दे रहे है तब उत्पन्न हुआ। अन्त में निवेदन किया प्रार्थी के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करायी जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो प्रार्थी एवं विपक्षीगण की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि है, उक्त कृषि भूमि तत्कालीन समय से तखतसिंह राजपूत के जायन्दा पुत्रान् अर्थात् विधिक वारिसान रूपसिंह, शेरसिंह के समान हक हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में हो मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण के पूर्वजों की मृत्यु उपरान्त मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व व हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में चली आ रही हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 का अपने मूल पुरूष स्वर्गीय दादा रूपसिंह पिता तखतसिंह के 1/2 हक हिस्से की भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 6 के निहित हक हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हो कब्जे उपभोग में है, उक्त कृषि भूमि मुझ प्रार्थी की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि होकर मैं प्रार्थी कृषि भूमि का हिस्से अनुसार मालिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

स्वामी हूं तथा मुझ प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि पर निरन्तर निर्विवाद स्वामित्व अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है। विपक्षीगण मुझ प्रार्थी के हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि से मुझ प्रार्थी को ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे, मुझ प्रार्थी को अपनी उक्त हक हिस्सा कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा या व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षीगण के नाम गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठा कर विपक्षीगण अपने नाम अंकित हिस्सा कृषि भूमि किसी विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर, चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें। विपक्षीगण रेकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 5 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड में स्थित होकर विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 प्रत्येक के नाम पर 1/8 हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज होना स्वीकार है किन्तु प्रार्थी या विपक्षी संख्या 6 का हमारी उक्त वर्णित कृषि आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है, न ही कोई हक अधिकार है बल्कि हम विपक्षी संख्या 1 से 5 उक्त कृषि आराजीयात पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार नियमित रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और आज भी हमारे द्वारा उक्त कृषि आराजीयात का उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थी की पैतृक नहीं है, न ही मूल पुरूष तखतसिंह राजपूत के वारिसान के समान हक हिस्से अनुसार संयुक्त स्वामित्व एवं हक हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में रही है, न ही वर्तमान में प्रार्थी या विपक्षी संख्या 6 का उक्त कृषि आराजीयात से कोई सरोकार हैं। वास्तविकता तो यह है कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में से आराजी नम्बर 3970 हम विपक्षी संख्या 1 से 5 के मौरूस शेरसिंह जी द्वारा तत्कालीन देलवाडा ठिकाना से प्राप्त की गई थी जिसके बाद उक्त आराजी शेरसिंह जी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से रेकार्ड में दर्ज हुई जिस पर शेरसिंह जी अपने पूरे जीवनकाल तक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे एवं शेरसिंह जी के मरणोपरान्त उक्त आराजी उनके वारिसान हम विपक्षी संख्या 1 से 5 को विरासत से प्राप्त हुई और हिस्सेनुसार हमारे नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर हमारे कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में निर्बाध रूप से चली आ रही है जिससे प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 या इनके मौरूस का कोई सरोकार नहीं रहा हैं। आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 सहित अन्य कृषि आराजीयात हमारे [illegible] तखतसिंह के नाम दर्ज थी और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:49 IST
Reason: SelfAttested

तखतसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी तमाम कृषि भूमियों का अपने पुत्रों के बीच आपसी पांती बंटवाडा कर दिया जिस पांती बंटवाडे में आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 हमारे मौरूस शेरसिंह जी के हिस्से कब्जे में आयी और उस वक्त से हमारे मौरूस शेरसिंह जी अपने हिस्से पांती की उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और हमारे मौरूस शेरसिंह जी ने अपनी उक्त आराजीयात पर काफी लागत लगाकर कुलिया भूमि को विकसित कर आवादान की और निर्बाध रूप से अपनी इन कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये। इस दरमियान वर्ष 1988 में मोतीसिंह पिता फतेहसिंह राजपूत द्वारा अपनी सहखातेदारी की कृषि भूमियों का विभाजन कराने हेतु न्यायालय उप जिलाधीश महोदय, वल्लभनगर में एक वाद अन्तर्गत धारा 88–53 राज.टि.एक्ट के तहत हमारे मौरूस शेरसिंह जी, प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 के पिता रूपसिंह जी एवं अन्य सहखातेदारों के विरूद्व प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 61 सन् 1988 वाद है। चूंकि मौके पर सभी सहखातेदारों के मध्य वर्षों से आपसी पांती बंटवाडा किया था इसलिए उस वाद में वर्णित कृषि भूमि के सभी सहखातेदारों (वादी व प्रतिवादीगण) द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय में आपसी समझौता प्रस्तुत किया और आपसी समझौता में वर्णितानुसार कृषि आराजीयात का विभाजन करने का निवेदन किया तत्पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों की मौजूदगी में आपसी समझौता तस्दीक किया गया और आपसी समझौता के मुताबिक बंटवाडा किये जाने के आदेश दिये गये। आपसी समझौता अनुसार बंटवाडे कराये जाने में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 के पिता रूपसिंह भी सहमत थे और सहमति स्वरूप रूपसिंह जी ने आपसी समझौता के प्रार्थना पत्र पर अपनी अंगुष्ठ निशानी की थी। आपसी समझौता अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.1990 को बंटवाडा की डिक्री जारी कर बंटवाडा डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये गये तत्पश्चात् न्यायालय डिक्री अनुसार नामान्तरकरण संख्या 604 के जरिए आराजी नम्बर 4105, 3979, 4135 किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा सहित हमारे मौरूस शेरसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत के नाम पर स्वतन्त्र रूप से दर्ज हुई तथा प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 के पिता रूपसिंह जी के भी समझौता बंटवाडे अनुसार भूमियां दर्ज हुई जिसका वर्णन न्यायालय द्वारा जारी बंटवाडा डिक्री में हैं। हमारे मौरूस शेरसिंह जी उनकी खातेदारी की कृषि आराजीयात पर अपने पूरे जीवनकाल तक अपने परिवारजन सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे तथा शेरसिंह जी के बाद उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमियां उनके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 5 को विरासत से प्राप्त हुई है और नियमित व निर्बाध रूप से हमारे द्वारा काश्त एवं उपयोग उपभोग में चली आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

रही है और हमारे द्वारा भी हमारी इन कृषि आराजीयात को विकसित करने हेतु फर्दन–फर्दन अब तक लाखों रूपयों की लागत लगाई है और परिवार सहित सख्त परिश्रम भी किया हैं। बंटवाडा होने के पश्चात् बंटवाडे में आयी आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 एवं स्वअर्जित आराजी नम्बर 3970 को नये बनने वाले रेवेन्यु रेकार्ड में एक ही खाते में शामिल कर दी गई जिससे वर्तमान में इन चारो आराजीयात का एक ही खाता हैं। इस प्रकार प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 का हम विपक्षी संख्या 1 से 5 की खातेदारी की इन कृषि आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है, न ही कोई हक अधिकार है। जब प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 का हमारी उक्त कृषि भूमि से कोई हक अधिकार ही नहीं है तो उक्त भूमिया पैतृक होकर इसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थी हमारे विरूद्व किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं है, न ही हमारे खिलाफ कोई दाद प्राप्त करने का अधिकार रखता है। प्रार्थी ने लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर उक्त मिथ्या कथना एवं झुठे आधारो पर यह मनगढन्त मुकदमा किया है जो कि इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं।

8. यह कि आराजी नम्बर 3970 शेरसिंह जी स्वअर्जित सम्पति है और आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 हमारे मौरूस शेरसिंह जी को बंटवाडे में प्राप्त हुई और न्यायालय द्वारा जारी बंटवाडे की डिक्री के अनुसार हमारे मौरूस शेरसिंह जी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज हुई हैं। हमारे मौरूस शेरसिंह अपने पूरे जीवनकाल तक अपने परिवारजन सहित अपनी इन कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे तथा हमारे मौरूस शेरसिंह की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात हम विपक्षी संख्या 1 से 5 को विरासत में प्राप्त होकर हिस्सेनुसार खातेदारी हक से अंकित हुई है जिस पर हम हमारे हिस्सेनुसार वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें प्रार्थी–विपक्षी संख्या 6 या इनके मौरूस का कोई लेना देना नहीं रहा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की विधिक भूल नहीं की गई बल्कि पक्षकारो के बीच हुए आपसी समझौता के अनुरूप न्यायालय द्वारा जारी की गई बंटवाडा की डिक्री अनुसार उक्त आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 शेरसिंह जी के नाम दर्ज हुई जो सही हुई है जिसे प्रार्थी इस मुकदमे से चुनौती देने का अधिकार नहीं रखता हैं। प्रार्थी जब तक न्यायालय द्वारा जारी की गई बंटवाडा की डिक्री को केन्सल नहीं करा देवे तब तक प्रार्थी को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी का वाद बार्ड बॉय लॉ होकर इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी ने मनचाही दाद प्राप्त करने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

की नियत से आधे अधूरे कथन एवं मिथ्या कथन कर यह दावा किया है जिससे प्रार्थी हमारे विरूद्व किसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं हैं।

9. यह कि प्रार्थी का न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला है, न ही सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि आराजी नम्बर 3970 शेरसिंह जी की स्वअर्जित सम्पति है और आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 हमारे मौरूस शेरसिंह जी को बंटवाडे में प्राप्त हुई और न्यायालय द्वारा जारी बंटवाडे की डिक्री के अनुसार हमारे मौरूस शेरसिंह जी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज हुई है जो भूमियां वर्तमान में हम विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर हमारे कब्जे अधिकार एवं उपयोग उपभोग में है जिससे प्रार्थी या विपक्षी संख्या 6 का कोई लेना–देना नहीं हैं। जब प्रार्थी के पिता का ही इस आराजीयात में कोई अधिकार नहीं रहा है तो प्रार्थी का इसमें कोई हक अधिकार होने एवं उसे बेदखल करने की कुचेष्ठा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी न तो इन आराजीयात का खातेदार है, न ही इस आराजी के किसी भू भाग पर प्रार्थी का कब्जा है जबकि इसके विपरित हम इसके खातेदार काश्तकार होकर मौके पर हमारा निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हमारे विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से हमको ही क्षति एवं नुकसान होगा और हम खातेदार हमारी खातेदारी की जमीन के उपयोग उपभोग से महरूम हो जायेगें। प्रार्थी इस भूमि का खातेदार नहीं है और प्रार्थी इस भूमि के खातेदारों को अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से रोकने का अधिकारी नहीं है और न ही हमारे विरूद्व किसी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा ही जारी कराने का अधिकारी हैं।

10. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 28.12.2023 को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र कारण बता यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया हैं। प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

11. **विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया** कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील मावली में स्थित होकर विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 प्रत्येक के नाम पर 1/8 हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज होना स्वीकार है लेकिन उक्त वर्णित कृषि आराजीयात से प्रार्थी या मुझ विपक्षी संख्या 6 का कोई लेना देना नहीं है, न कोई हक अधिकार हैं। उक्त आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 से 5 की है जिस पर पहले इनके मौरूस शेरसिंह जी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते थे और उनके बाद विपक्षी संख्या 1 से 5 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थी या मुझ विपक्षी की पैतृक नहीं है, न ही मूल पुरूष तखतसिंह राजपूत के वारिसान के समान हक हिस्से अनुसार संयुक्त स्वामित्व एवं हक हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में रही है, न ही वर्तमान में प्रार्थी या मुझ विपक्षी संख्या 6 का उक्त कृषि आराजीयात से कोई सरोकार हैं। वास्तविकता तो यह है कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में से आराजी नम्बर 3970 विपक्षी संख्या 1 से 5 के मौरूस शेरसिंह जी द्वारा तत्कालीन देलवाडा ठिकाना से प्राप्त की गई थी जिसके बाद उक्त आराजी शेरसिंह जी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से रेकार्ड में दर्ज हुई जिस पर शेरसिंह जी अपने पूरे जीवनकाल तक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे एवं शेरसिंह के मरणोपरान्त उक्त आराजी उनके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 5 को विरासत से प्राप्त होकर इनके नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हुई और इन्ही के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में निर्बाध रूप से चली आ रही है जिससे प्रार्थी व मुझ विपक्षी संख्या 6 या हमारे मौरूस का कोई सरोकार नहीं रहा हैं। निवेदन है कि आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 सहित अन्य कृषि आराजीयात हमारे मूल पुरूष तखतसिंह के नाम दर्ज थी और तखतसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी तमाम कृषि भूमियों का अपने पुत्रों के बीच आपसी पांती बंटवाडा कर दिया जिस पांती बंटवाडे में आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 शेरसिंह जी के हिस्से कब्जे में आयी और उस वक्त से शेरसिंह जी अपने हिस्सें पांती की उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और शेरसिंह जी ने अपनी उक्त आराजीयात पर काफी लागत लगाकर कुलिया भूमि को विकसित कर आवादान की और निर्बाध रूप से अपनी इन कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये। इस दरमियान वर्ष 1988 में मोतीसिंह पिता फतेहसिंह राजपूत द्वारा अपनी सहखातेदारी की कृषि भूमियों का विभाजन कराने हेतु न्यायालय उप जिलाधीश महोदय, वल्लभनगर में एक वाद अन्तर्गत धारा 88–53 राज.टी.एक्ट. के तहत् शेरसिंह जी, प्रार्थी व मुझ विपक्षी संख्या 6 के पिता रूपसिंह जी एवं अन्य सहखातेदारों के विरूद्व प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 61 सन् 1988 वाद है जिस वाद में वर्णित कृषि भूमि के सभी सहखातेदारों (प्रार्थी व विपक्षीगण) द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किये गये आपसी समझौता को माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों की मौजूदगी में तस्दीक किया गया और आपसी समझौता के मुताबिक बंटवाडा किया जाने के आदेश दिये गये। आपसी समझौता अनुसार बंटवाडे कराये जाने में प्रार्थी व मुझ विपक्षी संख्या 6 के पिता रूपसिंह सहमत थे और उन्होने सहमति स्वरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

आपसी समझौता के प्रार्थना पत्र पर अपनी अंगुष्ठ निशानी की थी। आपसी समझौता अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.1990 को बंटवाडा की डिक्री जारी कर बंटवाडा डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये गये तत्पश्चात् न्यायालय डिक्री अनुसार नामान्तरकरण संख्या 604 के जरिए आराजी नम्बर 4105, 3979, 4135 किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा शेरसिंह पिता तखतसिंह राजपूत के नाम पर स्वतन्त्र रूप से दर्ज हुई तथा हमारे पिता रूपसिंह जी के भी समझौता बंटवाडे अनुसार भूमिया दर्ज हुई जिसका वर्णन न्यायालय द्वारा जारी बंटवाडा डिक्री में हैं। शेरसिंह जी उनकी खातेदारी की कृषि आराजीयात पर अपने पूरे जीवनकाल तक अपने परिवारजन सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे तथा शेरसिंह जी के बाद उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमियां उनके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 5 को विरासत से प्राप्त हुई है और नियमित व निर्बाध रूप से विपक्षी संख्या 1 से 5 के ही कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में चली आ रही है और विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा भी अपनी इन कृषि आराजीयात को विकसित करने हेतु फर्दन–फर्दन अब तक लाखों रूपयों की लागत लगाई है और परिवार सहित सख्त परिश्रम भी किया है। बंटवाडा होने के पश्चात् बंटवाडे में आयी आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 एवं स्वअर्जित आराजी नम्बर 3970 को नये बनने वाले रेवेन्यु रेकार्ड में एक ही खाता हैं। इस प्रकार प्रार्थी व मुझ विपक्षी संख्या 6 या हमारे पिता का विपक्षी संख्या 1 से 5 की खातेदारी की इन कृषि आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है, न ही कोई हक अधिकार हैं। प्रार्थी ने लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर उक्त मिथ्या कथनो एवं झुठे आधारो पर यह मनगढन्त मुकदमा किया है जो कि इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं।

12. यह कि आराजी नम्बर 3970 शेरसिंह जी की स्वअर्जित सम्पति है और आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 हमारे मौरूस शेरसिंह जी को बंटवाडे में प्राप्त हुई और न्यायालय द्वारा जारी बंटवाडे की डिक्री के अनुसार शेरसिंह जी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज हुई है जिसमें प्रार्थी–विपक्षी संख्या 6 या हमारे पिता का कोई लेना–देना नहीं रहा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की विधिक भूल नहीं की गई बल्कि पक्षकारों के बीच हुए आपसी समझौता के अनुरूप न्यायालय द्वारा जारी की गई। बंटवाडा की डिक्री अनुसार उक्त आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 शेरसिंह जी के नाम दर्ज हुई थी जो सही हुई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बार्ड बॉय लॉ है एवं प्रार्थी ने आधे अधूरे कथन एवं मिथ्या कथन कर यह दावा किया है जो इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। प्रार्थी किसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

13. यह कि प्रार्थी का न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला है, न ही सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में हैं। विपक्षी संख्या 1 से 5 की खातेदारी में दर्ज आराजीयात से प्रार्थी, मुझ विपक्षी या हमारे पिता का कोई सरोकार नहीं रहा है, न ही इसमें हमारा किसी प्रकार का हक हिस्सा है, न ही इन आराजीयात के किसी भू भाग पर रूपसिंह या उनके किसी वारिस का कब्जा रहा है। विपक्षी संख्या 1 से 5 उक्त भूमि खातेदार है जिनके खिलाफ प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकार नहीं रखता हैं। प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 28.12.2023 को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र कारण बता यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया हैं। प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

14. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से दर्ज हैं। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की मौरूसी सम्पति है तथा मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 के दादा शेरसिंह जी की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1 एवं 2 से 5 के पिता मानसिंह जी के नाम पर दर्ज हुई हैं। मानसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर मानसिंह के वारिसान विपक्षी संख्या 2 से 5 के नाम से प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को मूल पुरूष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के दादा तखतसिंह के समय से चली आना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण अपने नाम दर्ज भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

16. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 356 पर दर्ज आराजी नम्बर 3970, 3979, 4105, 4135 किता 4 कुल रकबा 2.7436 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता रूपसिंह व शेरसिंह के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी एवं रूपसिंह की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण भूमि को शेरसिंह के नाम दर्ज कर दी गई जबकि रूपसिंह की मृत्यु के बाद रूपसिंह जी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि उनके वारिस के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति होकर प्रार्थी का जन्म से ही हक निहित है। भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 13.06.2024 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,** में **''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।''** माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 356 पर दर्ज आराजी नम्बर 3970, 3979, 4105, 4135 किता 4 कुल रकबा 2.7436 हेक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:49 IST
Reason: SelfAttested